न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, ग्वालियर (म0प्र0)

(समक्ष : मानसी बालूजा)

Registration No-RCSA/919/2022
Filing No-RCSA/19274/2022
C.N.R. No- MP0701-024707-2021
Filing Date- 26/09/2022

श्रीमती आरती पुत्री श्री विजयराम तिवारी,
पत्नी संतोष कांकर निवासी ग्राम बिल्हेटी,
तहसील मुरार, हाल निवासी त्रिलोकेश्वर नगर,
बम्बा का किरारा, अटेर रोड, भिण्ड(म.प्र.)

———आवेदक / वादी

:::विरूद्ध:::

1. विजयराम तिवारी पुत्र श्री कैलाश नारायण तिवारी,
   आयु 55 वर्ष।
2. बंटी उर्फ बसंत कुमार तिवारी पुत्र कैलाश नारायण तिवारी,
   आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम बिल्हेटी, तहसील मुरार,
   जिला ग्वालियर(म.प्र.)।
3. बच्चू उर्फ बृजमोहन तिवारी, आयु 50 वर्ष।
4. विष्णु पुत्र कैलाश नारायण तिवारी, आयु 48 वर्ष
   निवासी–ग्राम बिल्हेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर(म.प्र.)।
5. म.प्र. शासन जरिये कलेक्टर, ग्वालियर म.प्र.।

——अनावेदकगण / प्रतिवादीगण

::: आदेश :::

(आज दिनांक 06.07.2023 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है।

2. वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी सर्वे नंबर 1191, 1306, 1311, 1312, 1329 कुल किता 5, कुल रकवा 8 बीघा स्थित ग्राम बिलहेंटी, तहसील

मुरार, जिला ग्वालियर की भूस्वामी व आधिपत्यधारी है। वर्णित विवादित भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि होकर उसे अपने बाबा से प्राप्त हुई है तथा जिस पर वह एकमात्र वारिस काबिज होकर उत्तराधिकारी है। प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि को खुर्दबुर्द करने व विक्रय करने की चेष्टा में हैं। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा स्थगन आवेदन पत्र सद्भावना पर आधारित है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप, रहन, विक्रय न करें व सभी प्रकार से बाध्य रहें।

3. प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये प्रस्तुत जवाब संक्षेप में यह है कि वादी ने वर्णित सर्वे नंबरों के साथ उनके रकवे का उल्लेख नहीं किया है। वादी उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी की ना तो भूमि स्वामी है और ना ही आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि वादी के बाबा की सहदायिक एवं पुश्तैनी संपत्ति नहीं है और ना ही वादी भूमि स्वामित्व की संपत्ति है। वादी वादपत्र में वर्णित आराजी की कभी भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं रही है और न ही वर्तमान में है। वादी को उक्त विवादित आराजी में वादी के पिता प्रतिवादी क्र. 1 के जीवित रहते हुए अपना हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपने पिता की मृत्यु पश्चात् प्राप्त हुई आराजी, जो विवादग्रस्त भूमि है, पर अपने अपने भाग पर भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर खेती करते चले आ रहे हैं। वादी का प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अतः वादी का आवेदन 500/–रूपये के हर्जे पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रतिवादी क्र. 5 द्वारा हस्तगत आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. प्रकरण में उक्त आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं :–

1. क्या वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या सबल है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

—: निष्कर्ष व उसका आधार :—

विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 लगायत 3 :—

6. वादी का वाद प्रथमदृष्ट्या सबल प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादी का वाद मुख्यतः इस अभिवचन पर आधारित है कि वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि होकर उसे उसके बाबा से प्राप्त हुई थी एवं जिस पर वह एकमात्र वारिस काबिज होकर आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द व विक्रय करने हेतु प्रयासरत हैं। आवेदन के समर्थन में वादी द्वारा सतीश—आरती की विवाह पत्रिका दिनांक 26.04.2008, वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्र. के खसरे वर्ष 2022—23, खातावार खतौनी वर्ष 2022—23, सेवा शुल्क पावती की छायाप्रतियां, हिसाब कॉपी की सत्य प्रति, रजिस्टर्ड सूचना पत्र मय एडी की छायाप्रतियां प्रस्तुत की हैं। इसके विपरीत प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 द्वारा वादी के अभिवचनों को अस्वीकार किया गया है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसके बाबा की सहदायिगी की संपत्ति होकर पैत्रिक संपत्ति थी। उसके बाबा की मृत्यु उपरांत वादी उक्त भूमि में प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के साथ हिस्सेदार होकर अपने हिस्से 1/4 भूमि पर आधिपत्यधारी है। वादी उक्त भूमि का बंटवारा करा पाने की अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 व 2 को समय समय पर धनराशि उधार दी गई थी, जिसके एवज में प्रतिवादी क्र. 1 व प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा उनके हिस्से की भूमि में से क्रमशः 1—1 बीघा भूमि वादी के पक्ष में विक्रय करने का वायदा किया गया था। इसके विपरीत वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन में अभिवचनों के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होकर उसे उसके बाबा से प्राप्त हुई है, जिस पर वह एकमात्र वारिस काबिज होकर उत्तराधिकारी है। इस प्रकार वादी द्वारा वादपत्र एवं आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी में किये गये अभिवचन भिन्न होना दर्शित है। इस आधार पर ऐसा दर्शित होता है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। यहां न्याय दृष्टांत **अमरसिंह विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य(2011) 7 एस.सी.सी. 69** में प्रतिपादित यह

सिद्धांत अनुकरणीय है कि निषेधाज्ञा का अनुतोष एक साम्यिक अनुतोष होता है और इस प्रकार के साम्यिक अनुतोष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आना चाहिए और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। इस न्याय दृष्टांत में एक अन्य न्याय दृष्टांत Mac & G 231 Dalglish v. Jarvie , (1850) 2 में प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धान्त पर भी निर्भरता व्यक्त की गई है – " It is the duty of a party asking for an injunction to bring under the notice of the Court all facts material to the determination of his right to that injunction; and it is no excuse for him to say that he was not aware of the importance of any fact which he has omitted to bring forward."

8. इसके अतिरिक्त वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्रमांकों के खसरों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 उक्त भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी होना दर्शित हैं। वादी द्वारा आवेदन के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 की सहदायिगी की है, जो कि उन्हें वादी के बाबा की मृत्यु के उपरांत प्राप्त हुई है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि संयुक्त पुश्तैनी भूमि होना व्यक्त किया गया है, परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में वादी के बाबा एवं प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 के पिता कैलाश नारायण की मृत्यु वर्ष 2002 में होने का तथ्य अविवादित है। प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 द्वारा जवाबदेही लेते हुये वादग्रस्त भूमि का उक्त प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा होना एवं उनके द्वारा उक्त भूमि पर आधिपत्यधारी होने का अभिवचन किया गया है, जिसका वादी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के आलोक में वादी के पिता प्रतिवादी क्र. 1 विजयराम तिवारी के जीवित होने की स्थिति में वादी का वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व होना प्रथमदृष्ट्या दर्शित नहीं है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वादी द्वारा किए गए दावे के समर्थन में उनका प्रकरण प्रथम दृष्टया सबल है।

9. उपरोक्त विवेचना से प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। वादी द्वारा यद्यपि व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्र. 1 व 2 द्वारा उनके हिस्से की भूमि में से 1–1 बीघा भूमि वादी के पक्ष में वादी द्वारा प्रदान की गई धनराशि के एवज में विक्रय करने का अनुबंध किया गया था एवं प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि के विक्रय व खुदबुर्द करने हेतु प्रयासरत हैं, परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा उक्त संबंध में शपथपूर्वक किये गये अभिवचनों का खण्डन प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 द्वारा शपथपूर्वक किया गया है। इस दशा में वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति होना भी संभावित नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन **अस्वीकार** किया जाता है।

10. इस आदेश का प्रकरण के गुण दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(मानसी बालूजा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खंड, ग्वालियर (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

(मानसी बालूजा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खंड, ग्वालियर (म.प्र.)

MANSI BALUJA

Digitally signed by MANSI BALUJA
Date: 2023.07.06 17:19:49 +0530